

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2024-प्रतिकर उपकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 2024

सा.का.नि. (अ)- केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उपधारा (1) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, प्राधिकृत ग्राहक को किसी यूनिट रन कैंटीन (यूआरसी) के द्वारा शीर्ष 2202 में वर्गीकृत माल की आपूर्ति को माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 के अंतर्गत उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण माल एवं सेवा कर प्रतिकर उपकर को छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण-

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फाइल सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव, भारत सरकार